

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

:: संशोधित-आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11.09.2017

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) :: राज्य शासन एतद द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी
विद्यार्थी योजना अंतर्गत जारी विभागीय संशोधित आदेश दिनांक 05.09.2017 को
निरस्त किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(संभाजीत यादव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)

भोपाल, दिनांक 11.09.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
 3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
 4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय।
 5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
 6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
 7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
 8. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
 9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
 10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
 11. स्टाफ पंजी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

mmvy
UR, MS

10
12/9/17